(71)

<u>संख्याः-429/एक-10-2025</u>

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 29 मई, 2025

विषयः आई0आई0आई0टी0 लखनऊ द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8164/रा0आ0का0/इंटर्नशिप पत्रा0/2025-26, दिनांक 11.04.2025, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से संचालित इन्टर्नशिप प्रोग्राम को आई0आई0आई0टी0 को सौंपते हुये आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु आई0आई0आई0टी0, लखनऊ द्वारा इस प्रोग्राम को स्वयं संचालित किये जाने हेतु इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत 10 इंटर्नस को रू0 10 हजार प्रतिमाह मानदेय के अनुसार 01 वर्ष तक आई0आई0आई0टी0 लखनऊ द्वारा इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से रू0 12 लाख की धनराशि आवण्टित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 06.05.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से संचालित इन्टर्नशिप प्रोग्राम को आई0आई0आई0टी0 को सौंपते हुये आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु आई0आई0आई0टी0, लखनऊ द्वारा इस प्रोग्राम को स्वयं संचालित किये जाने हेतु इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत 10 इंटर्नस को रू0 10 हजार प्रतिमाह मानदेय के अनुसार 01 वर्ष तक आई0आई0आई0टी0 लखनऊ द्वारा इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि रू0 12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध-</u>

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 12 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 29-05-2025 ...

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या:-429(1)/एक-10-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-30/05/2025

प्रेषण संख्या:- 429
आवंटन आदेश संख्या:- 001-429
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 64886582	1200000 64886582
	योग	वर्तमान प्रगामी	1200000 64886582	1200000 64886582

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ अड़तालीस लाख छियासी हजार पाँच सौ बयासी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी